



2026:AHC:21785

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2901, वर्ष 2025

छोटेला ल गुप्ता
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : श्याम शंकर मिश्रा
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. श्री शशि कांत मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम शंकर मिश्रा की ओर से उपस्थित हुए, श्री ओम आनंद, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका नीचे दी गई राहत के लिए दायर की गई है:

“(i). एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए; जो परमादेश की प्रकृति का हो, और जिसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक **28.03.2024** के आदेश का पालन करें तथा ग्राम बराहटा करौंदी, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर में स्थित तालाब की भूमि (जिसका आराजी संख्या **336/1.041** हेक्टेयर है और प्रभावित क्षेत्र **0.012** हेक्टेयर है) पर किए गए अतिक्रमण को हटाएँ। यह कार्रवाई व्यापक जनहित में अत्यंत आवश्यक है; अन्यथा, आम जनता को अपूरणीय क्षति और हानि का सामना करना पड़ सकता है।

ii). एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए—जो परमादेश की प्रकृति का हो—जिसके द्वारा प्रतिवादी प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक **05.09.2024** के अभ्यावेदन पर, निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लें।”

3. इस न्यायालय के दिनांक 19.9.2025 के आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी, जौनपुर द्वारा भेजी गई दिनांक 13.10.2025 के निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. श्री ओम आनंद, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखंड राजस्व अभिलेखों में 'तालाब' के रूप में दर्ज है, और निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध यू.पी. राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही वाद संख्या T2019143603024441 के रूप में शुरू की गई है; इन प्रतिवादियों को उक्त भूखंड पर अवैध अतिक्रमण करते हुए पाया गया था, और यह मामला वर्तमान में तहसीलदार के सम्क्षेप लंबित है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि 28.3.2024 को तहसीलदार द्वारा बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया था; किंतु तहसीलदार द्वारा 28.3.2024 को पारित बेदखली और हर्जाने के उस आदेश के विरुद्ध, निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर 'बहाली याचिका' को स्वीकार कर लिया गया है, और 6.10.2025 के आदेश के माध्यम से यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत चल रही कार्यवाही को उसके मूल केस संख्या पर पुनः बहाल कर दिया गया है। उन्होंने इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा 6.10.2025 को पारित वह आदेश भी प्रस्तुत किया, जो 13.10.2025 के निर्देशों के साथ संलग्न है।

5. चूँकि दिनांक 28.3.2024 का बेदखली और हर्जाने का आदेश वापस ले लिया गया है, और वर्तमान में किसी के भी विरुद्ध बेदखली और हर्जाने का कोई आदेश नहीं है, अतः इस मामले में अब कोई मुकदमे का आधार शेष नहीं है।

6. यह जनहित याचिका इस टिप्पणी के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित वाद संख्या T2019143603024441 की कार्यवाही का निर्णय, प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार द्वारा, पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक किया जाएगा।

30 जनवरी 2026

पीएस

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)